पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY

SEMESTER – IV

EC-1

Unit – 1

Tana Bhagat Movement

VETTED BY:

प्रो. (डॉ) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

सम्पर्क : 9835463960

डॉ राजेश कुमार

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

9430934482

वर्तमान झारखंड का क्षेत्र आदिवासियों के निवास का मूल केंद्र रहा है । आदिवासियों के कई समूह इन क्षेत्रों में निवास करते हैं । इन्हीं आदिवासी समूह में उरांव आदिवासियों का समूह निवास करता है । उरांव आदिवासी में बीसवीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है । इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए उसे शोषण से भी बचाना था । जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी अपने अहिंसक नीतियों के द्वारा भारतीय जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरह एक छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत ताना भगत कर चुके थे ।

एकांत वासी और सादगी का जीवन जीने वाले आदिवासियों की संस्कृति और व्यवस्था में जब से ब्रिटिश शासन एवं दिकू अर्थात बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हुआ तभी से आदिवासियों का विद्रोह भी बढ़ता गया । इसी तरह के विद्रोह बिरसा मुंडा ने भी ताना भगत आंदोलन के कुछ वर्ष पहले किया था । बिरसा मुंडा की मृत्यु के करीब 13; 14 वर्षों के पश्चात ताना भगत ने आंदोलन को एक नया आयाम देने की कोशिश की जिसमें अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया ।

इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जतरा भगत या उरांव का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य स्थित गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के एक गांव चिगरी में 1888 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिवरी भगत था ।इसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था ।जतरा भगत बिरसा मुंडा के आंदोलन और उनके द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए त्याग को अपनी आंखों से देखा था, उसे समझा था। इन्हें यह समझ में आ गया था कि आदिवासी समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त किए बिना राजनीतिक चेतना लाना कठिन है। दूसरी बात यह कि हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता।अंतत: जतरा भगत ने सर्वप्रथम अपने समर्थकोंको सात्विक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सर्वप्रथम उन सभी वस्तुओं का परित्याग कर दिया जिन्हें वह अशुद्ध समझते थे। इसी तरह जतरा भगत ने अपने समर्थकों को भी सात्विक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। कालांतर के वर्षों में इनकी प्रेरणा से इनके अनुयायी सात्विक भोजन करने लगे। इन्ही समूह में एक ऐसा समूह विकसित हो गया जो सात्विक भोजन के पक्ष में नहीं था, जिसका नेतृत्व शिवू भगत कर रहा था। शिवू भगत ने मांस खाने का समर्थन किया। मांस का सेवन करने वाले मांसभक्षी भगत "जुलाहा भगत" कहें गए और इनकी संख्या ज्यादा मांडर क्षेत्र (रांची जिला)में है। जिन लोगों ने शिवू भगत का अनुसरण नहीं किया, वह "अरूवा भगत" कहलाए क्योंकि वे केवल अरवा चावल ही खाते थे।

जतरा भगत ने लोगों के बीच जाकर, जहां तक हो सके उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास किया। आदिवासी समाज को विकास से भी दूर रखा गया था, इसलिए उनमें अंधविश्वास भी ज्यादा रहा है। बीमारियों को दूर करने के लिए ये लोग झाड़-फूंक में ज्यादा विश्वास करते हैं। इन्हीं सभी को

देखते हुए जतरा भगत ने भी अपने गांव से कुछ दूरी स्थित हेसराग गांव में श्री तुरिया भगत से झाड़-फूंक का ज्ञान हासिल किया।

सामाजिक सुधारों के अलावा आदिवासी समाज में व्याप्त धार्मिक कर्मकांडों के ऊपर भी जतरा भगत ने प्रहार किया । जल्द ही उन्होंने जादू टोना की खामियों का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसी तरह पारंपरिक उरांव व्यवस्था के तहत प्रत्येक धार्मिक समारोह में बलि, नैवेद्यम और हडिया चढ़ाया जाना आवश्यक था, लेकिन ताना भक्तों ने यह सभी बंद कर दिया। जतरा भगत के कहने पर अब वे अपने देवकुरी अर्थात मंदिर में फूल और मिष्ठान चढ़ाने लगे तथा अगरबत्ती एवं घी के दिए जलाने लगे क्योंकि लोगों का यह मानना था कि जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता ने दर्शन दिए थे और यह उनका ही आदेश है। धर्मेश देवता का ही आदेश पाकर इसने भूत- प्रेत की साधना का काम भी छोड़ दिया और निरामिष हो गया है। यह अपने सर्वोच्च देवता धर्मेश की अनंत शक्तियों का प्रयोग लोगो के भलाई के लिए ही करता है।

जतरा भगत ने आदिवासियों के आर्थिक शोषण का भी मुद्दा अपने आंदोलन में उठाया। कई आदिवासियों को उसके अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था। मालगुजारी को काफी बढ़ा दिया गया ।विभिन्न तरह के करों की वसूली भी इनसे की जा रही थी, जिसमें चौकीदारी कर भी था।इसके अलावा बेगारी भी इन से करवाया जाता था या फिर काफी कम मजदूरी पर इन से काम करवाया जाता था। जतरा भगत ने इस शोषण से मुक्ति के लिए आदिवासियों को संगठित कर इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया । इस अहिंसक आंदोलन में हजारों आदिवासी अपनी शोषको अर्थात सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गए। आंदोलन के दौरान यह ऐलान किया गया कि मालगुजारी

नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे । जल्द ही यह आंदोलन एक बड़े क्षेत्र में फैल गया।

ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत के करीब छब्बीस हजार(26000) अनुयायियों ने भी हिस्सा लिया। यह आंदोलन वर्तमान झारखंड के बिशुनपुर, घाघरा ,गुमला, रायडीह, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लापुग,मंडर आदि क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। घाघरा(घाघरा ब्लॉक वर्तमान में जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर पर स्थित है) क्षेत्र में बैलगाडा निवासी बलराम भगत ने भगत संप्रदाय की बागडोर संभाली। उसने गो पूजन पर अधिक बल दिया और पशुपालक बन गए। मांडर में शिबू भगत ने इस आंदोलन का प्रचार किया। बिशुनपुर थाना के उरांव गांव में भीखू भगत ने इस आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास किया ।इस आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता गुरुरक्षितणी भगत था ।शोषको के खिलाफ इस आंदोलन में जतरा भगत का साथ महिलाओं ने भी दिया, जिसमें देवमनिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । देवमनिया सिसई थाना (गुमला जिला) के वधुरी ग्राम की रहने वाली थी।

आंदोलन के विस्तार को देखते हुए शोषक वर्गों के मन में भय व्याप्त होने लगा और उसने प्रशासन के सामने इस आंदोलन के स्वरूप को काफी बढ़ा चढ़ा कर बताना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्रशासकों के मन में भी इस आंदोलन के प्रति भय और शंका पैदा होने लगी और अंततः जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में उसे 7 अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित किया गया। 1916 ईस्वी में इसे 1 वर्ष की सजा हुई। जेल में संभवत इसे कठोर यातनाएं दी गई,जिसके कारण जेल से आने के दो माह बाद ही इसकी मृत्यु हो गई।

ताना भगत आंदोलन की रणनीतियों को देखते हुए या आश्चर्य होता है कि किस तरह इन आदिवासियों ने अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश शासन के सामने एक चुनौती प्रस्तुत किया ।गांधीजी की नीतियों को बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के अपनाया और गांधी जी को भी कहना पड़ा कि ताना भगत इनके सर्वाधिक प्रिय अनुयाई हैं। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया तो कुडू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में ये लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। यह तो कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 ईसवी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में तथा 1923 के नागपुर सत्याग्रह में भी ताना भगत के अनुयाई शामिल हुए थे। 1940 ईस्वी के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में ताना भक्तों ने 400रूपए की थैली भेंट की थी ।आज भी तिरंगा को ताना भगत अपना देवता मानते हैं और गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं।

जब 1947 ईसवी में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब सरकार ने इनके योगदान को याद करते हुए इन्हें राहत पहुंचाने की कई कार्य किए। 1948 ईस्वी में "रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट"पारित किया गया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भक्तों की आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम के द्वारा 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भक्तों की नीलाम की गई भूमि को वापस दिलाने का प्रावधान किया गय।।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुआयामी आंदोलन था क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों की मुद्दों को लेकर आगे आए थे।